न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 4/2015

उनवान

1. गोपाल पुत्र स्व0 श्री बन्ना
2. रूकमा बेवा भागचन्द
3. श्रीमति बाली देवी बेवा भागचन्द
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम आखरी तहसील व जिला अजमेर

..... अपीलान्ट .....

बनाम

1. भंवरी पुत्री स्व0 श्री बन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम आखरी तहसील व जिला अजमेर
2. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री बन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम आखरी तहसील व जिला अजमेर
3. सरंपच ग्राम पंचायत गेगल पंचायत समिति श्रीनगर तहसील व जिला अजमेर
4. हल्का पटवारी आखरी गेगल तहसील अजमेर तहसील व जिला अजमेर
5. हल्का गिरदावर आखरी गेगल तहसील अजमेर तहसील एवं जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 21.07.2014

आदेश

दिनांक :– 05.12.2019

Scanned by CamScanner

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की पुश्तैनी सह खातेदारी सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम आखरी तहसील व जिला अजमेर स्थित खाता संख्या 134 वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर 144 रकबा 01–05–00, खसरा नम्बर 334 रकबा 04–17–00 खसरा नम्बर 337 रकबा 01–18–00 खसरा नम्बर 378 रकबा 05–10–00 खसरा नम्बर 393 रकबा 02–00–00 खसरानम्बर 394 रकबा 00–12–00 खसरा नम्बर 396 रकबा 00–10–00 खसरा नम्बर 489 रकबा 02–17–00 खसरा नम्बर 522 रकबा 02–04–00 खसरा नम्बर 536 रकबा 01–05–00 खसरा नम्बर 541 रकबा 21–01–00 खसरानम्बर 576 रकबा 01–06–00 खसरानम्बर 584 रकबा 03–00–00खसरानम्बर 814 रकबा 01–16–00 खसरा नम्बर 816 रकबा 01–09–00 खसरा नम्बर 857 रकबा 01–08–00खसरा नम्बर 869 रकबा 01–03–00 खसरानम्बर 871 रकबा 01–03–00 कुल किता 18 कुल रकबा 55–04–00 व खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 823 रकबा 03–10–10, खसरानम्बर 831 रकबा 05–01–00, खसरानम्बर 832 रकबा 00–06–00 खसरानम्बर 875 रकबा 07–10–00 खसरा नम्बर 901 रकबा 10–16–10 कुल किता 6 कुल रकबा 27–04–00व खाता संख्या 136 खसरा नम्बर 788 रकबा 01–10–00 कुल किता 1 कुल रकबा 01–10–00 खाता संख्या 138 खसरा नम्बर 244 रकबा 00–13–10 व खसरा नम्बर 265 रकबा 03–11–10 कुल किता 2 कुल रकबा 4–05–00 उक्त आराजियात के तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार स्व0 बन्ना पुत्र सादुल की निहित सह खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात बाबत अपीलांटस ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विद्वान न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के समक्ष दिनांक 29.5.2007 प्रस्तुत किया जो बउनवानी गोपाल बनाम रामा वगैरह को आज दिनांक को भी विद्वान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उक्त वाद के कथनानुसार एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 29.5.2007 प्रस्तुत किया जो बउनवानी गोपाल बनाम रामा वगेरह राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2007 में विद्वान न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट के पक्ष में दिनांक 29.5.2007 को अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा का आदेश प्रदान किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जो आज दिनांक को भी विचाराधीन है। उक्त खसरा मद संख्या अ में अंकित सारणी क आराजी के हाल आधार खसरा संख्या 189/10267, 189, 190, 520, 521, 528, 523/944, 630, 654, 654, 653, 654, 657, 715, 716, 739, 699, 916, 919, 926, 881, 892, 876, 865/951, 463, 449,447 साारणी ख आराजी के हाल आधार खसरा संख्या 781, 781/1029, 771, 770, 481, 423, 429 सारणी ग आराजी के आल आधार खसरा संख्या 807 सारणी घ आराजी के हाल आधार खसरा संख्या 329, 309, 310, 311, 312, 313, 313/988 बाबत विद्वान न्यायलय श्रीमान् सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के

Scanned by CamScanner

समक्ष दिनांक 29.5.2007 प्रस्तुत किया जो अपीलांट के पक्ष में दिनांक 29.5.2007 को अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा का आदेश प्रदान कर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया गया कि विवादग्रस्त आराजी की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाई रखी जावे तदउपरान्त भी उप पंजीयक महोदय अजमेर के द्वारा गैर कानूनी रूप से आराजी वर्किंग खसरा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का निहित हिस्सा रेस्पो 2 के पक्ष में हक त्याग पत्र पंजीकत दिनांक 30.5.2007 को कर दिया । जबकि उक्त आराजी का बेचान बाबत दस्तावेज अपीलांट संख्या 3 के पक्ष में रेस्पो संख्या 1 ने तहरीर कर दिया जो उक्त बेचान इकरार के बाबत प्रकरण सक्षम दिवानी न्यायालय में प्रकरण आज भी विचाराधीन है तदउपरान्त भी गेर कानूनी रूप से सरपंच ग्राम पंचायत गेगल के द्वारा प्रकरण बाबत एवं विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय) महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 29.5.2007 की वस्तु स्थिति अभिलेख पर आने के उपरान्त भी कानून को मजाक समझकर अपनी हठधर्मिता एवं पद का दुरूप्योग करते हुए विद्वान सरपंच महोदय ग्राम पंचायत गेगल तहसील व अजमेर ने नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 21.07.2014 को नामान्तकरण तस्दीक किया गया । उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलांट प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत गेगल पंचायत समिति श्रीनगर तहसील एवं जिला अजमेर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 21.7.2014 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट 1 व 2 की ओर से श्री ललित कुमार सोगानी अधिवक्ता उपस्थित आये ।

रेस्पोडेन्ड सख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने दोहराने बहस में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक फर्जी प्रलेख के आधार पर विशिष्ट अनुपालना का वाद प्रस्तुत किया था जिसके साथ अस्थायी निशेघाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संख्या 66/2007 प्रस्तुत किया था जो माननीय सिविल जज अजमेर द्वारा दिनांक 6.10.2012 को निरस्त किया जा चुका है। साथ ही विवादित भूमि के सबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर में वाद विचाराधीन है। नामान्तकरण की समरी कार्यवाही होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

तत्पश्चात धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। धारा 5 में अपीलार्थी का कथन है विवादित नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 05.02.2015 को हुई उससे पूर्व कोई जानकारी नही थी रेस्पो. द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की है कि उक्त तिथी से पूर्व अपीलार्थी को विवादित नामान्तकरण की जानकारी रही हो ना जानकारी का समय न्यायहित में समयावधि

Scanned by CamScanner

है अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाता है व अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य प्रकट हुए कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अभिवचन गोपाल बनाम रामा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2007 में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) महोदय अजमेर में प्रकरण दर्ज कर अपीलांट के पक्ष में दिनांक 29.5.2007 को अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा का आदेश प्रदान किया जिसमें अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया । साथ ही प्रस्तुत अपील नामान्तकरण के विरूद्व होकर समरी कार्यवाही है जिसके माध्यम से पक्षकारो के हक अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन, भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.06 15:54:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: